न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2023 G.C.M.S. No. 2023/181 दर्ज दिनांक : 26.06.2023

अपीलार्थिगणः

1. देवीसिंह पुत्र भूरसिंहजी उम्र 67 वर्ष
2. उगमसिंह पुत्र भीकसिंहजी उम्र 61 वर्ष
3. उगमसिंह पुत्र लादुसिंहजी उम्र 67 वर्ष
4. मृत मोहनसिंह पुत्र रघुनाथसिंहजी के वारिसानः–
   4/1 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंहजी
   4/2 पांचीकंवर पत्नी स्व. मोहनसिंहजी
   समस्त जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण पराखिया, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित आदेशांक प्र.गां.के.सं./राजस्व/2013/1098 दिनांक 16.04.2013 एवं धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित आदेशांक प्र. गां.के.सं./राजस्व/2013/1098 दिनांक 16.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम पराखिया के खसरा संख्या 192 का कुल रकबा पूर्व में 4.20 हैक्टेयर था, जिसमें ग्रामवासियों के करीब 30 वर्षों से अधिक समय से आवासीय प्रयोजनार्थ एवं कृषि प्रयोजनार्थ मकान तथा फसल रखने, पशु रखने, कृषि प्रयोजनार्थ सामान रखने इत्यादि हेतु बाड़े बने हुए हैं। उपरोक्त भूमि में करीब 50–60 आवासीय पक्के मकान बने हुए हैं। जिसमें बिजली, पानी की सुविधा ली हुई हैं। बाकी कृषि गोदाम के रूप में बाड़े बने हुए हैं। करीब 100 से अधिक व्यक्तियों के बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। जिसके चारो तरफ पक्की चारदीवारी बनी हुई हैं एवं अंदर कृषि उपयोग का सामान रखने, फसल रखने एवं पशु इत्यादि बांधने हेतु टीनशेड लगे हुए हैं। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 192 में से आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने से कुछ व्यक्तियों को रेस्पोंडेंट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन कर खातेदारी अधिकार दिये गये थें। जिसमें 0.04 हैक्टेयर मोहब्बतसिंह पुत्र अमरसिंहजी खसरा संख्या 192/1, मोहनसिंह पुत्र मूलसिंहजी को 0.04 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 192/2, लादूसिंह पुत्र प्रतापसिंह को 0.04 हैक्टेयर भूमि खसरा नंबर 192/3 के रूप में राजस्व रेकर्ड में नियमन होने से खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार खसरा नंबर 192 का शेष रकबा 4.08 हैक्टेयर ही रहा था, फिर भी अपीलाधीन आदेश में खसरा नंबर 192 का रकबा 4.20 हैक्टेयर कर दिये गये थें तथा वर्ष 2008 में ही म्यूटेशन संख्या 397 व 398 पारित कर राजस्व रेकर्ड में अलग से बट्टा नंबर दर्ज कर दिये थें। ग्राम पराखिया बहुत ही छोटा गांव है, जिसमें न तो पंचायत हेडक्वार्टर है व न ही पटवार हल्का का मुख्यालय है। किसी प्रकार के राजकीय भवनों हेतु भूमि की आवश्यकता भी नहीं हैं। साथ ही अन्य सिवायचक भूमि बहुतायत में उपलब्ध है। फिर भीप केवल मात्र अपीलांट्स सहित अन्य ग्रामवासियों के रहवासीय मकानात व बाड़े वगैरह बने हुए हैं। उनको परेशान करने इत्यादि की अवैध नियत से और राजनैतिक द्वेषतावश अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नंबर 192 में से 3 हैक्टेयर भूमि राजकीय भवनों हेतु आरक्षित करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया और उसकी पालना में राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 192/4 रकबा 3 हैक्टेयर दर्ज कर दिया तथा शेष जमीन खसरा नंबर 192 रकबा 1.08 हैक्टेयर बारानी दोयम कायम रखी गई। आवंटन पत्रावली में तहसीलदार सुमेरपुर की अभिशंषा व सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा की बैठक दिनांक 11.10.2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 67 अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2013 में उपरोक्त आवंटन आदेश पारित करना बताया गया है। पत्रावली में जो ग्राम पंचायत नेतरा का प्रस्ताव बताया गया है, वह 3 साल पुराना है अर्थात उक्त प्रस्ताव के 3 वर्ष बाद में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों से न तो कोई राय ली गई, न ही ग्रामवासियों से कोई आपत्ति आमंत्रित की गई। उक्त आवंटन पत्रावली में दो मौका फर्द अलग–अलग पटवारी द्वारा बनाई हुई हैं। जिसमें एक मौका फर्द दिनांक 24.05.2011 की हैं। उसमें मौके पर भूमि खाली होना बताया है, जबकि दूसरी पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2013 की हैं जिसमें खसरा नंबर 192 में 1.20 हैक्टेयर भूमि में पक्के मकान बने हुए बताये हैं। इस बाबत उपरोक्त मकान नक्शे में कहां पर बने हुए हैं, इस संबंध में न तो कोई जांच की गई, न ही मौका फर्द बनाई गई व न ही नजरी नक्शा बनाया गया व बिना किसी जांच के जहां पर मकान इत्यादि बने हुए हैं, उस जमीन को अपीलाधीन आदेश द्वारा राजकीय भवनों हेतु आरक्षित कर विधिविरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व एक आवेदन प्रपत्र–ब के रूप में भरा गया है, जिसे उपखंड अधिकारी स्वयं द्वारा आवंटन की अनुशंषा किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाना बताया गया है व उपरोक्त प्रपत्र जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित होना लिखा गया है, जिसमें भी क्रम संख्या 18 पर स्पष्ट रिपोर्ट है कि धारा 91 के कब्जे व बाड़े हैं। इसके अलावा पटवारी रिपोर्ट में भी उपरोक्त भूमि में पक्के मकान बने हुए होना बताया गया है। यही स्थिति भूमिधारी स्वयं रेस्पोंडेंट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2013 में बताई गई हैं। फिर भी जिस स्थान पर पक्के मकानात व बाड़े बने हुए हैं, उसी भूमि को जैर अपील आदेश द्वारा आरक्षित किया गया है, इस कारण उक्त आदेश एब इनिसियो वॉइड की श्रेणी में आता है। जैर अपील आदेश की जानकारी सर्वप्रथम अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में हल्का पटवारी द्वारा दी गई एवं बताया गया कि उपरोक्त भूमि राजकीय भवनों हेतु आरक्षित होने से अपीलांट्स व अन्य व्यक्तियों के सभी परिसर तोड़कर बेदखल किया जाएगा। जब अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में अधिवक्ता के माध्यम से दस्तावेज की जांच करवाई, तब जैर अपील आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 05.04.2023 को नकलों हेतु आवेदन करवाया, जहां से नकलें दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अन्य राजस्व दस्तावेजात की नकलें प्राप्त कर विधिक रूप से सलाह लेकर उपरोक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित फरमावें कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार अपीलांट्स को विधिवत रूप से आवंटन/नियमन किया जावें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से व्यथित व प्रभावित है। क्योंकि अपीलांट्स का अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि पर अन्य ग्रामवासियों के साथ मकानात व बाड़े आदि बने हुए हैं। तत्कालीन सरपंच व उसके पति वर्तमान सरपंच द्वारा राजनैतिक रंजिश से अपीलांट सहित अन्य व्यक्तियों को परेशान व प्रताड़ित करने के लिए भूमि का मौका देखे बिना कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपीलांट्स द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की जानकारी के बिना व गैर–मौजूदगी में जारी किया गया है। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई। तत्पश्चात नकल आदि लेकर अविलंब अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपीलाधीन आदेश द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत राजकीय कार्यालय भवन प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का नेतरा की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, मौके के फोटोग्राफ, बिजली के बिलों की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त आरक्षण मौके पर खाली नहीं होकर स्थानीय ग्रामवासियों के मकानात एवं पशुबाडें आदि बने हुए थें तथा भूमि ग्राम की आबादी भूमि से लगती हुई सिवायचक भूमि है। अतः प्रकरण में विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के अनुपालन व विचलन का प्रश्न विद्यमान है तथा अपीलांट्स प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्राकृतिक न्याय सिद्धांत अनुसार सुने जाने के अधिकार को देखते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
2. चूंकि अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं होने से वक्त आदेश इसकी जानकारी उन्हें होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही अपीलांट्स प्रकरण में प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। अतः यह विश्वास करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.04.2023 को हल्का पटवारी द्वारा कहने पर हुई। साथ ही अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर एवं लापरवाहीपूर्वक विलंब कारित करना दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः न्यायहित में विलंबकाल को युक्तियुक्त व सद्भाविक मानते हुए माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2013 द्वारा ग्राम पंचायत नेतरा के ग्राम पराखिया के खसरा नंबर 192 रकबा 4.20 हैक्टेयर में से 3 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा राजस्थान भू–राजस्व (संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत निःशुल्क भूमि आरक्षित की गई। चूंकि यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सुस्पष्ट है कि नियम 1963 के अंतर्गत भूमि आरक्षित किए जाने का कोई विधिक प्रावधान उक्त नियमों के अंतर्गत नहीं हैं। 1963 के नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सक्षम अधिकारी द्वारा केवल भूमि आवंटन किया जा सकता है, भूमि आरक्षण नहीं। अतः अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध एवं दूषित होने से काबिल खारिज है।

4. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अनअधिवासित राजकीय भूमि को आरक्षित रखा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार सुमेरपुर पटवारी नेतरा एवं संबंधित आई.एल.आर द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट के बिंदु संख्या 18 में स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूमि पर पूर्व से निर्माण है तथा कब्जे व बाड़े हैं। अर्थात स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अनाधिवासित भूमि नहीं होकर अधिवासित भूमि है। जिस पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भवनों हेतु ग्राम पंचायत नेतरा के नाम भूमि आरक्षित की गई हैं। जबकि धारा 92 के अंतर्गत खाता संख्या 1 की भूमि भविष्य के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखते हुए खाता संख्या 1 में ही रखी जाती हैं। अर्थात उक्त भूमि का किसी अन्य कार्यालय/संस्था को हस्तांतरण/आवंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी आरक्षित भूमि जिला कलक्टर के आदेश से ही आवंटित की जा सकती हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही ग्राम पंचायत नेतरा को राजकीय भवनों हेतु भूमि आरक्षित करके हस्तांतरित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है।

5. 1963 के नियमों के अंतर्गत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत भवन व अन्य पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु जिला कलक्टर द्वारा भूमि आवंटित की जा सकती हैं। उपखंड अधिकारी को इस संबंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नेतरा का पंचायत भवन एवं पंचायत स्तरीय कार्यालय पूर्व से संचालित है तथा ग्राम पंचायत का मुख्यालय नेतरा में हैं, जबकि उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम पंचायत नेतरा के राजस्व ग्राम पराखिया में राजकीय भवनों हेतु भूमि आरक्षित की गई हैं। प्रथम तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत नेतरा के राजस्व ग्राम पराखिया में कौनसे ग्राम पंचायत स्तरीय राजकीय कार्यालय व भवन स्वीकृत है, जिनके लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः हमारे विनम्र मत में उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा प्रकरण का बिना विधिक परीक्षण किए एवं बिना किसी औचित्य व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नियमों का अवलोकन किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर का सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा को प्रेषित पत्रांक 174 दिनांक 17.02.2012 उल्लेखनीय है जिसमें उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा यह अंकित किया गया है कि *"जिला कलक्टर महोदय पाली से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार भूमि आवंटन हेतु संबंधित विभाग से मांग पत्र संलग्न नहीं हैं, साथ ही भूमि किस सरकारी विभाग हेतु आवंटन की मांग की गई है, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। न ही राजकीय भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु दस्तावेज संलग्न है। इन परिस्थितियों में नियमानुसार आवंटन किया जाना संभव नहीं हैं।"* उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अपने ही उक्त पत्र की पालना करवाए बिना अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत नेतरा के नाम राजकीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण हेतु अपीलाधीन आदेश द्वारा भूमि आरक्षित कर दी गई। जो हमारे विनम्र मत में विधिसम्मत, उचित व पुष्टियोग्य नहीं हैं।

7. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के मौके के फोटोग्राफ्स, बिजली–पानी के कनेक्शन की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि पर कच्चे–पक्के मकान, बाड़े, पशुशाला, चारागृह आदि बने हुए हैं। अर्थात भूमि अनअधिवासित नहीं हैं। इसके बावजूद उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा भूमि आरक्षित की गई हैं। जो विधिसम्मत नहीं हैं।

8. ग्राम पंचायत नेतरा के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 08.04.1995 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पराखिया में आबादी भूमि की समस्या को देखते हुए खसरा संख्या 192 में से 1 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार के लिए आवंटित किए जाने का निवेदन किया। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.09.2017, एवं दिनांक 10.01.2013 ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.11.2017 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवासगृहों के पट्टे दिये जाने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निवेदन पर संबंधित तहसीलदार व उपखंड अधिकारी द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक सर्वे एवं जांच आदि की जाकर प्रकरण निर्णयार्थ जिला कलक्टर को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा क्षेत्राधिकार एवं विधिक प्रावधानों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेतरा को सरकारी कार्यालयों के भवनों हेतु भूमि आरक्षित करने, अपीलाधीन भूमि अधिवासित होने के बावजूद भूमि को आरक्षित करने एवं ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 08.04.1995 का समुचित परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किए बिना एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.09.2017, एवं दिनांक 10.01.2013 ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.11.2017 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में किसी प्रकार का सर्वे एवं जांच आदि किए बिना तथा ग्राम पराखिया पंचायत मुख्यालय न होकर ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम होने एवं उक्त गांव में किसी प्रकार के सरकारी कार्यालयों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के बावजूद भूमि आरक्षित करने से अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के आदेशांक प्र.गां.के.सं./राजस्व/2013/1098 दिनांक 16.04.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला कलक्टर पाली एवं तहसीलदार सुमेरपुर को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner